"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 176] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 अप्रैल 2016— वैशाख 9, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2016

क्रमांक 4229/डी. 143/21-अ/प्रारू./छ.ग./16. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22-04 -2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 16 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2016

छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्र. 27 सन् 1972) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 27 सन् 1972) की विद्यमान अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"अनुसूची
[धारा 1-क(क) देखें]

अध्यक्ष

धारा (1)	वेतन/भत्तों का विवरण (2)	राशि (3)
धारा 2	अध्यक्ष का वेतन	रुपये 32,000 प्रतिमास
धारा 3(2)	अध्यक्ष को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 40,000 प्रतिमास
धारा 3(3)	अध्यक्ष को दैनिक भत्ता	रुपये 2,000 प्रतिदिन

उपाध्यक्ष

धारा (1)	वेतन/भत्तों का विवरण (2)	राशि (3)
धारा 2	उपाध्यक्ष का वेतन	रुपये 28,000 प्रतिमास
धारा 3(2)	उपाध्यक्ष को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता	रुपये 40,000 प्रतिमास
धारा 3(3)	उपाध्यक्ष को दैनिक भत्ता	रुपये 2,000 प्रतिदिन"

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2016

क्रमांक 4229/डी. 143/21-अ/प्रारू./छ.ग./16. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-04-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 16 of 2016)

THE CHHATTISGARH ADHYAKSHA TATHA UPADHYAKSHA (VETAN TATHA BHATTA) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016

An Act further to amend the Chhattisgarh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta), Adhiniyam, 1972 (No. 27 of 1972).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattistgarh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Thatha Bhatta) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Schedule.

2. For the existing Schedule of the Chhattisgarh Adhyaksha Tatha Upadhyaksha (Vetan Tatha Bhatta), Adhiniyam, 1972 (No. 27 of 1972), the following shall be substituted, namely :-

"SCHEDULE
[See Section 1-A(a)]

SPEAKER

Section (1)	Pay/Allowance Particular (2)	Amount (3)
Section 2	Salary of Speaker	Rupees 32,000 per mensem
Section 3(2)	Constituency allowance to the Speaker.	Rupees 40,000 per mensem
Section 3(3)	Daily allowance to the Speaker	Rupees 2,000 per day

DEPUTY SPEAKER

Section (1)	Pay/Allowance Particular (2)	Amount (3)
Section 2	Salary of Deputy Speaker	Rupees 28,000 per mensem
Section 3(2)	Constituency allowance to the Deputy Speaker.	Rupees 40,000 per mensem
Section 3(3)	Daily allowance to the Deputy Speaker.	Rupees 2,000 per day"

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.